संख्या:70/2016/298/35-4-2016

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 24 फरवरी,2016

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में शासनादेश संख्या-166/2015/487/35-4-2015 दिनांक 29 मार्च, 2015 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्य यथा: **निन्दूरा में टिकैटगंज बाबागंज मार्ग से शेखवापुर आलमपुर अकबरपुर रजवा ओदार तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य** को लागत रू. 321.24 लाख पर स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 160.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त कार्य की लागत रू. 321.14 लाख के स्थान पर टंकण त्रुटिवश लागत रू. 321.24 लाख अंकित हो गई है। अत: उक्त कार्य की स्वीकृति लागत को रू.321.14 लाख पढ़ा जायेगा। इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:70/2016/298(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण/ग्राम्य विकास /गन्ना विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ कृषि विपणन ।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
7-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
8-मुख्य विकास अधिकारी,बाराबंकी।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी।

आज्ञा से ,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in